जिस्ट्री ...र (डी)-72

REGISTERED No. D(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 16] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 21, 1978/माघ 1, 1899
No. 16] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 21, 1978/MAGHA 1, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

(आयात व्यापार नियंत्रण)

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1978

विषय :—यू० के०/भारत क्षेत्रीय अनुदान, 1977 के अन्तर्गत आयातों के लिए लाइसेंस जारी करने के सम्बन्ध में शर्तों की अनुसूची।

सार्वजनिक सूचना संख्या 7-आई० टी० सी० (पीएन)/78 मिसिल संख्या आई० पी० सी०/39/16/77 यू० के०/भारत क्षेत्रीय अनुदान 1977 के अन्तर्गत आयात लाइसेंसों को जारी किये जाने के संबंध में शासित करने वाली जैसी शर्तें इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, वे सूचनार्थ अधिसूचित की जाती हैं।

परिशिष्ट

यू० के०/भारत क्षेत्रीय अनुदान, 1977, दिनांक 27-1-77 के लिए लाइसेंस शर्तें

1—सामान्य

आयात लाइसेंस का शीर्षक "यू० के०/भारत क्षेत्रीय अनुदान, 1977" होगा। लाइसेंस संख्या और प्रत्यर्थी के रूप में "आर/कि एस" या "एस/के एस" के साथ लाइसेंस कोड के अतिरिक्त इसमें नियतन संख्या होगी। क्षेत्रीय अनुदान का संकेत करने वाला प्रतीक पहचान प्रत्यय के रूप में जाना जाएगा और इस के साथ एक पत्र "ए" होगा जो उस पावर क्षेत्र के लिए होगा जिसके लिए अनुदान का निश्चय किया गया है और इस के साथ इसमें उस वर्ष का संकेत करने वाली एक संख्या होगी जिसमें नियतन किया गया है और उसके साथ एक नियतन संख्या होगी।

एस० ई० सी०/ए०/72/14 (जी० ओ० आई०) अर्थात् क्षेत्रीय अनुदान/पावर/वर्ष/नियतन संख्या :—

(ख) ब्रिटिश सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ किए गए नियतन के मामले में प्रतीक "(जी० ओ० आई०)" परिचय प्रत्यय में नहीं रहेगा जैसा कि नीचे के उदाहरण से प्रतीत होता है।

"एस० ई० सी०/ए०/72/14"

(ग) एक नियतन—बहुविध लाइसेंस

जब एक नियतन के मद्दे एक से अधिक आयात लाइसेंस जारी किए जाते हैं तो आयात लाइसेंस जारी करते समय लाइसेंस प्राधिकारी यह सुनिश्चय करेंगे कि नियतन से संबंधित प्रत्येक लाइसेंस में एक और परिचय चिन्ह होगा उदाहरण के लिए

(1) एस० ई० सी०/ए०/72/14 (जी० ओ० आई०)/प्रथम लाइसेंस

(2) एस० ई० सी०/ए०/72/14 (जी० ओ० आई०)/2 द्वितीय लाइसेंस

अर्थात् क्षेत्रीय अनुदान/पावर/वर्ष/नियतन सं०/लाइसेंस की क्रम सं०।

(घ) एक लाइसेंस बहुविध लाइसेंस

जब एक आयात लाइसेंस के मद्दे एक से अधिक खरीद आदेश/संविदा हो तो लाइसेंसधारी की यह जिम्मेवारी हो जाती है कि वह यह सुनिश्चय करे कि लाइसेंस के लिए परिचय चिन्ह के बाद ब्रैकेट में आयात लाइसेंस के अन्तर्गत प्रत्येक खरीद आदेश/संविदा के लिए एक और परिचय चिह्न अर्थात् (1), (2) आदि दिया जाता है, उदाहरण के लिए :

नियतन के मद्दे जारी किए गए एस० ई० सी०/ए०/72/14 (जी० ओ० आई०)/1(1)

आयात लाइसेंस के मद्दे संविदाओं के लिए एस० ई० सी०/ए०/72/14 (जी० ओ० आई०)/1(2)

अर्थात् क्षेत्रीय अनुदान/पावर/वर्ष/नियतन संख्या/आयात लाइसेंस की क्रम संख्या (खरीद आदेश की क्रम संख्या)।

इसी तरह एक नियतन के मद्दे जारी किए गए द्वितीय आयात लाइसेंस के मद्दे संविदा के लिए यह इस प्रकार होगा :—

एस० ई० सी०/ए०/72/14(जी० ओ० आई०)/2(1)

एस० ई० सी०/ए०/72/14 (जी० ओ० आई०)/2(2)

टिप्पणी :—उपर्युक्त अथवा इन शर्तों में कहीं भी संकेतित परिव्यय प्रत्यय, लाइसेंस प्राधिकारी एवं लाइसेंसधारी को क्रियाविधि समझाने के लिए केवल एक उदाहरण हैं एवं इन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। आयात लाइसेंस जारी करते समय उस संकेतित किए जाने वाले प्रत्येक नियतन के संबंध में वास्तविक परिव्यय प्रत्यय वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा संकेतित किए जाएंगे।

लाइसेंस की वैधता अवधि

2. आयात लाइसेंस संविदा करने के लिए 4 मास की प्रारम्भिक वैधता अवधि के लिए एवं पोतलदान पूर्ण करने के लिए 12 मास की वैधता अवधि के लिए लागत बीमा-भाड़ा के आधार पर जारी किया जाएगा लेकिन, जहां सुपुर्दगियों को पूरा करने के लिए अधिक समय लगने का अनुमान हो, वहां लाइसेंस की वैधता अवधि 18 मास तक कर दी जाएगी।

आयात लाइसेंस की पावती के 15 दिनों के भीतर ही आयातक को चाहिए कि वह आयात लाइसेंस की एक फोटो स्टेट प्रति वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू-ई-2 अनुभाग), नई दिल्ली को भेजें। इस की एक प्रति सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू सी ओ बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजी जानी चाहिए।

आदेश देना

3. यू० के० संभरकों को लागत बीमा-भाड़ा या लागत भाड़ा के आधार पर पक्के आदेश आयात लाइसेंस के जारी होने से चार मास के भीतर अवश्य ही दे दिए जाने चाहिएं। पक्के आदेश का अर्थ है भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा यू० के० संभरक के लिए बाद वाले से पुष्टिकरण द्वारा विधिवत् समर्थित जारी किए गए क्रय आदेश या भारतीय आयातक एवं यू० के० संभरक दोनों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित क्रय संविदा/संविदा की मियाद के लिए कीमतें सामान्यतः स्थायी होनी चाहियें।

जब भी किसी भारतीय कम्पनी के साथ बीमा किया जाता है तो किश्त को भारत में भारतीय रुपए में चुकाया जाना चाहिए।

आदेश देने में समय वृद्धि

4. यदि पक्के आदेश निर्धारित 4 मास की अवधि के भीतर नहीं दिए जा सकते है तो आयात लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारियों के पास भेजा जाना चाहिए और इस के साथ पक्के आदेशों को देने में विलम्ब के कारणों का और आदेश देने में यथा आवश्यक समय वृद्धि की मांग का संकेत किया जाना चाहिए। ऐसे आवेदन पत्रों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जाएगा जो अधिक से अधिक 2 मास की अवधि वृद्धि की स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। लेकिन, यदि वृद्धि की मांग आयात लाइसेंस के जारी होने से छः मास से अधिक के लिए की जाती है तो इस प्रकार के प्रस्ताव निरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू-ई-2 अनुभाग) वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो आदेश भेजेगा।

भुगतान की विधि

5. यू० के० / भारत क्षेत्रीय अनुदान, 1977 के अन्तर्गत भुगतानों के प्रयोजनार्थ आयातों को निम्नलिखित दो श्रेणियों में बांटा गया है :—

(1) (क) वे मदें जो प्रथम उपयोक्ता की परिचालन पूंजी में से अर्थयुक्त की गई हैं उदाहरणार्थ, माल, संघटक, फालतू पुर्जों और अन्य उपभोग के लिए स्टोर्स जो कि प्रथम उपयोक्ता की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए प्राप्त किए गए हैं, (प्रथम उपयोक्ता वह फर्म या संस्था है व्यापारिक संस्थान से भिन्न) जिसने अनुदान में से दिए जाने वाले माल एवं सेवाओं को प्राप्त किया है। उदाहरण के लिए फर्म विद्युत संभरण उद्योग के लिए संयंत्र उपकरण एवं संघटकों का निर्माण करने वाली हो सकती है या स्वयं विद्युत संभरण उद्योग का उद्योग है।

(ख) वे मदें जो प्रथम उपयोक्ता की नियत पूंजी के अतिरिक्त हैं जैसे संयंत्र या अन्य सामान और सेवाएं जो प्रथम उपयोक्ता की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के प्रयोजनार्थ प्राप्त किए गए थे और जिनकी कीमत विदेशी मुद्रा में 500,000 पौण्ड से कम है।

(ग) अन्तिम उपयोक्ताओं जैसे विद्युत बोर्ड के लिए आवश्यक सभी प्रकार की मदें।

(2) वे मदें जो प्रथम उपयोक्ता की नियत पूंजी के अतिरिक्त हैं और जिसमें 500,000 पौण्ड या इससे अधिक स्टार्लिंग खर्चे शामिल हैं।

कंडिका (1)(क), (ख) एवं (ग) के अन्तर्गत आने वाली मदों के लिए साख-पत्र की स्थापना कर सामान्य बैंकिंग सूत्रों के माध्यम से संभरकों को भुगतान की व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन नीचे के खण्ड-3 (क) में दिए गए ब्यौरों के अनुसार ऐसा करने के लिए विशेष प्राधिकरण सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग पार्लियामेंट स्ट्रीट, [illegible]ली से प्राप्त कर लिया जाना चाहिये।

उपर्युक्त कंडिका (2) के अन्तर्गत आने वाली मदों के लिए भारत सरकार और यू० के० सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है और खण्ड-3 (ख) में दी गई क्रियाविधि अपनाई जानी चाहिए।

इसे नोट कर लेना चाहिए कि जब तक प्रारम्भिक 4 मास की अवधि या बढ़ाई गई अवधि के भीतर आदेश देने का काम पूरा नहीं कर लिया गया हो और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा विशेष प्राधिकरण (उपर्युक्त कंडिका में संकेत किए गए के अनुसार) प्राप्त नहीं कर लिया जाता, तब तक विदेशी मुद्रा में प्राधिकृत व्यापारी साख-पत्र की स्थापना करने की स्वीकृति नहीं देंगे।

भारतीय अभिकर्ता का कमीशन

6. भारतीय अभिकर्ता के किसी कमीशन के लिए भुगतान भारत स्थित अभिकर्ता को भारतीय रुपए में किया जाना चाहिए। लेकिन, इस प्रकार के भुगतान लाइसेंस मूल्य के अंश होंगे और ये, इसलिए, इस के लिए जाएंगे।

7. आदेश नकद के आधार पर दिए जाने चाहिएं और सभी भुगतान आयात लाइसेंस की वैधता अवधि के भीतर पूर्ण किए जाने चाहिएं। अलग अलग भुगतानों की व्यवस्था माल के पोतलदान हो जाने पर अवश्य की जानी चाहिए। किसी भी प्रकार की साख सुविधा नहीं दी जाएगी।

2. आदेशों/संविदाओं में शामिल की जाने वाली या अन्यथा रूप से ध्यान में रखी जाने वाली विशेष बातें।

8. जब आदेश/संविदाएं दी जा रही हों जो कि यू०के० संभरकों को ही दी जानी चाहिए (जिसकी अभिव्यक्ति में चेनल आइलैण्ड तथा आइल आफ मैन भी शामिल है), लाइसेंसधारी को आदेश/संविदाओं में एक व्यवस्था द्वारा यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि खरीदे गए माल पूर्णतया या प्रधानतया यू०के० में उत्पादित अथवा निर्मित है या होंगे । जब इस प्रकार के माल खरीदने से संबंधित सेवाओं की भी व्यवस्था की जाती है, तो उसमें निहित उपयुक्त व्यवस्था द्वारा इसी प्रकार यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ऐसे काम तथा सेवाएं साधारणतया यू०के० निवासी अथवा जो वहां व्यापार कर रहा है, उसके द्वारा प्रदान की जाती है अथवा की जाएगी।

गैर यू०के० तत्व का मापदण्ड

9. (क) आयात लाइसेंस केवल यू०के० में प्राप्त एवं उत्पादित अथवा विनिर्मित सामान एवं/अथवा माल के लिए वैध होगा।

(ख) भारतीय आयातक को उस के स्वयं हित के लिए यह परामर्श दिया जाता है कि वह पहले से ही यू०के० संभरकों से इस बात का सुनिश्चय कर ले कि क्या प्रस्तावित आयातों में किसी प्रकार के गैर यू०के० तत्व हैं और यदि हैं तो उसकी प्रतिशतता क्या है। किसी भी परिस्थिति में उसे यू०के० संभरक के साथ विशेष रूप से इस बात का सुनिश्चित किए बिना पक्की वचनबद्ध या संविदा नहीं करनी चाहिए।

(ग) जब इस प्रकार की पूछताछ करने पर पता लग जाता है कि आयात किए जाने वाले प्रस्तावित माल में गैर-यू०के० तत्व हैं तो उसे वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू-ई-2 अनुभाग) नई दिल्ली को इस बात की पुष्टि के लिए अवश्य ही अवगत करवाना चाहिए कि आयातक को भावी यू०के० संभरकों के साथ अपने आदेश/संविदा पूर्ण करने पर आगे कार्य करना चाहिए। इस संबंध में इस बात का भी उल्लेख किया जा सकता है कि विशेष मामलों में केवल एक संविदा के माल के जहाज पर निःशुल्क मूल्य के 20% की सीमा तक के गैर-यू०के० माल के लिए यू०के०/भारत क्षेत्रीय अनुदान, 1977 के अन्तर्गत विशेषयुक्त के लिए स्वीकृति दी जा सकती है बशर्ते कि गैर-यू०के० वस्तु परिष्कृत उत्पादों का एक मुख्य भाग है और गैर-यू०के० के मूल के माल स्वतन्त्रता रूप से आयात किए जाने वाले प्रस्तावित परिष्कृत उत्पादों में प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए भारतीय आयातकों को चाहिए कि वे विशेष अनुमोदन के लिए निर्धारित प्रपत्र में [अनुबन्ध-2 या अनुबन्ध 2(बी)] यू०के० संभरक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित संविदा प्रमाण-पत्र की एक प्रति को संलग्न करते हुए आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू-ई-2 अनुभाग) वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को आवेदन करें।

10. नीचे के 4 एवं 5 में उल्लिखित प्रलेखन आवश्यकताओं को तथा नीचे के खण्ड 4 में निर्धारित भुगतान की प्रक्रिया को ध्यान में रखा जाना चाहिए तथा संविदा में उचित रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए।

3. संविदा की अधिसूचना तथा तत्संबंधी संशोधन

(क) उपर्युक्त 5(1) के अन्तर्गत आने वाले आयातों के संबंध में

11. आदेश देने के 15 दिनों के भीतर लाइसेंसधारी को चाहिए कि संविदा अथवा संविदा अधिसूचना की तीन प्रतियां (संलग्न अनुबन्ध-1 के रूप में) संभरक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित संविदा प्रमाण पत्र [संलग्न अनुबन्ध 2 अथवा 2(बी) के रूप में जो भी उपयुक्त हो] की दो प्रतियों के साथ सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू०सी०ओ० बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजें। संविदा अधिसूचना (अनबन्ध-1) की एक प्रति वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली को भी पृष्ठांकित की जाए।

12. सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक नई दिल्ली को उपर्युक्त प्रलेखों को (जैसा कि उपर्युक्त पैरा 11 में बताया गया है) भेजते समय लाइसेंसधारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि दस्तावेजों में आयात लाईसेंस की संख्या तथा तारीख और अनुदान का शीर्षक (यू०के०/भारत क्षेत्रीय अनुदान, 1977) भली-भांति लिख दिया गया है। लाइसेंसधारी को इस बात का भी अवश्य सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि आयात लाइसेंस का परिचय प्रत्यय सभी दस्तावेजों अर्थात् प्रेषण पत्र, संविदा विदा संप्रेषिसूचना, संविदा प्रमाण-पत्र आदि में संकेतित कर दिया गया है।

स्पष्टीकरण

यदि वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली द्वारा 1975 वर्ष के दौरान किसी विशेष नियतन के लिए परिचय प्रत्यय एस ई सी/ए/75/12 (जी ओ आई) "नियत कर दिया गया है तो प्रथम आयात लाइसेंस एवं द्वितीय आयात लाइसेंस के अन्तर्गत दस्तावेजों पर इस प्रकार परिचय प्रत्यय लगाए जाएंगे :—

1	2
(1) प्रथम आयात लाइसेंस	एस ई सी/ए/75/12(जी ओ आई)/1
इसके अन्तर्गत प्रथम संविदा	एस ई सी/ए/75/12(जी ओ आई)/1(1)
इसके अन्तर्गत द्वितीय संविदा	एस ई सी/ए/75/12(जी ओ आई)/1(2)
	और आगे इसी तरह
(2) द्वितीय आयात लाइसेंस	एस ई सी/ए/75/12(जी ओ आई)/2
इसके अन्तर्गत प्रथम संविदा	एस ई सी/ए/75/12 (जी ओ आई)/2(1)
इसके अन्तर्गत द्वितीय संविदा	एस ई सी/ए/75/12(जी ओ आई)/1(2)

13 किसी भी समय यदि संविदा में संशोधन किया जाता है या संविदा प्रमाणपत्र में उल्लिखित धनराशि से ज्यादा या कम धनराशि के लिए उस के अन्तर्गत यदि कोई जिम्मेवारी निहित की जाती है, तो लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह संविदा संशोधन की तारीख से 15 दिनों के भीतर अनुपूरक या संशोधित प्रलेखों को जिसमें संविदा के लिए संशोधित प्रतियां और संशोधित संविदा प्रमाण पत्र शामिल है, को सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को भेज दे ताकि वे इस की सूचना यू०के० सरकार को दे सकें।

14. यदि यू०के० संभरक के भारतीय अभिकर्ता के साथ संविदा की जाती है, तो उस यू० के० संभरक के नाम का संकेत होना चाहिए जिस को संविदा के उस स्टर्लिंग अंश के लिए भुगतान किया जाना है जो केवल इस अनुदान के अन्तर्गत भुगतान के योग्य होगा। ऊपर निर्धारित किए गए के अनुसार ऐसी संविदाओं की प्रतियां (उन संविदाओं की प्रतियां जो यू०के० संभरकों के साथ भारतीय अभिकर्ता द्वारा की गई हैं यदि इस प्रकार की पृथक संविदाएं हैं) भेज दी जानी चाहिए।

(ख) पैरा 5(2) के अन्तर्गत आने वाले आयातों के सम्बन्ध में

15. आदेश देने के 15 दिनों के भीतर लाइसेंसधारी को चाहिए कि संविदा अथवा अधिसूचना की चार प्रतियां (संलग्न अनुबन्ध-1 के रूप में) संभरक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित संविदा प्रमाण-पत्र (संलग्न अनुबन्ध-2 या 2बी के रूप में जो भी उपयुक्त हो) की पांच प्रतियों के साथ सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, नई दिल्ली को भेजें। अनुबन्ध-1 की एक प्रति वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली को भी पृष्ठांकित की जानी चाहिए।

टिप्पणी :— चूंकि कोई भी साख-पत्र तब तक स्थापित नहीं किया जा सकता है या संभरकों को भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि संविदा यू०के० सरकार द्वारा विधिवत् अनुमोदित नहीं हो जाती है इसलिए लाइसेंसधारी के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि यू०के० संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित संविदा प्रमाण-पत्र के साथ संविदा/संविदा अधिसूचना की प्रतियां शीघ्र ही सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को भेज दी जाती हैं।

16. उपर्युक्त प्रलेखों (जैसा कि उक्त पैरा 15 में बताया गया है) को भेजते समय लाइसेंसधारी द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दस्तावेजों में आयात लाइसेंस की संख्या तथा तारीख और अनुदान का शीर्षक भली-भांति लिख दिया गया है। लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस के मदें प्रत्येक संविदा में परिचय प्रत्यय अवश्य देना चाहिए (कृपया पैरा 12 के अन्तर्गत दर्शाए गए उदाहरण को देखें) ।

17. सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, मुख्य लेखा अधिकारी भारत का उच्च आयोग लन्दन (सी०ए० ओ० लन्दन) के माध्यम से दस्तावेजों के एक सेट को, यू० के० सरकार यू० के० अनुदान में से की जा रही संविदा के अन्तर्गत भुगतानों के लिए उनकी स्वीकृति एवं अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत करेगा । यू० के० सरकार का निर्णय ज्ञात होने के बाद यथाशीघ्र सी०ए० ओ० लन्दन वित्त मंत्रालय (सी०ए० ए० एण्ड ए०) के परामर्श पर यू० के० संभरक को और साथ ही साथ लाइसेंसधारी को भी सीधे ही सूचित करेगा।

18. यदि किसी भी समय संविदा (की जा रही वह संविदा जिसके सम्बन्ध में यू० के० सरकार अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है या लेना बाकी है) में संशोधन किया जाता है या संविदा प्रमाण-पत्र में उल्लिखित धनराशि से ज्यादा/कम धनराशि के लिए उस के अन्तर्गत यदि कोई जिम्मेवारी निहित की जाती है, तो लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह अनुपूरक या संशोधित दस्तावेजों संविदा संशोधन एवं परिशोधित संविदा प्रमाण पत्र की प्रतियों की सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा, नियंत्रक को भेज दे ताकि वह इस की सूचना यू० के० सरकार को उन की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए दे सके। जैसे ही यू० के० सरकार से संविदा संशोधन के लिए अनुमोदन प्राप्त हो जाता है, सी०ए० ओ० लन्दन लाइसेंसधारी एवं वित्त मंत्रालय (सी० ए० ए० एण्ड ए०) को उसी तरह सूचित करेंगे जैसा कि मूल संविदा के मामले में किया जाता है।

19. यदि संविदा यू० के० संभरक के भारतीय अभिकर्ता के साथ की गई हो तो उपर्युक्त पैरा 14 में बताई गई बातों का भी अनुपालन किया जाना चाहिए।

4. यू० के० संभरकों को भुगतान साख-पत्र की प्रक्रिया

20. (क) लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह दस्तावेजों को भेजते समय देखें खण्ड-3 (क), या यू० के० सरकार द्वारा संविदा के अनुमोदन के बारे में सूचना की प्राप्ति के बाद (देखें पैरा 17) यू० के० संभरकों के नाम में यू० के० सम्बद्ध बैंकों में से किसी भी एक बैंक में जो 1 7 विदेशी मुद्रा विनिमय करने के लिए प्राधिकृत हो, साख-पत्र खोलने के लिए प्राधिकरण पत्र हेतु सहायता लेखा एवं परीक्षा, नियंत्रक, को आवेदन करें। प्राधिकरण पत्र के लिए आवेदन अनुबन्ध 3 में दिए गए प्रपत्र में किया जाना चाहिए उसके साथ आयात लाइसेंस की फोटो प्रति विनियम दर के सत्यापन के लिए दी जानी चाहिए।

(ख) खंण्ड-3(ख) के अन्तर्गत आने वाली संविदाओं के मामले में आयातक को चाहिए कि वह विदेशी मुद्रा में प्राधिकृत व्यापारी से प्राप्त बैंक गारंटी (अनुबन्ध 4 में दिए गए प्रपत्र में) को भी संलग्न करे। बैंक गारन्टी अनुबन्ध 4 में यथा उल्लिखित ब्याज एवं अन्य प्रभारों के साथ स्टार्लिंग धनराशि के बराबर रुपए को दर्शाने वाली उस धनराशि के लिए होनी चाहिए जिसके लिए प्राधिकार पत्र/साख पत्र खोला जाना आवश्यक है। परिवर्तन की दर राजस्व तथा बैंकिंग विभाग द्वारा अधिसूचित विनिमय दर होगी और जो मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना संख्या 78 आई०टी०सी० (पी० एन०)/74, दिनांक 6-6-74 की कंडिका 2 के अनुसार आयात लाइसेंस जारी करने की तारीख को प्रचलित दर होगी। यह दर लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली बैंक गारन्टी के मूल्य की गणना करने के प्रयोजनार्थ ही होगी। आयातों की कीमत के प्रति सरकारी लेखे में रुपया निक्षेप के प्रयोजन के लिए समतुल्य रुपए की गणना सार्वजनिक सूचना संख्या 8 आई० टी० सी० (पी० एन)/76 दिनांक 17-1-76 में निर्धारित विधि के अनुसार या भविष्य में सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दर के अनुसार करनी होगी।

टिप्पणी : सार्वजनिक क्षेत्र परियोजना द्वारा किसी प्रकार की बैंक गारन्टी की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामलों में स्टेट बैंक आफ इंण्डिया की किसी भी शाखा द्वारा (इसकी नियंत्रित शाखा सहित) या राष्ट्रीयकृत बैंकों में से किसी भी शाखा द्वारा साख-पत्र खोला जाएगा।

21. यदि आवेदन पत्र सही पाया जाता है तो सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली सम्बद्ध भारतीय मुद्रा विनियम में प्राधिकृत बैंक को अपेक्षित धनराशि के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेगा। खण्ड-3 (क) एवं 3 (ख) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में से किसी भी मामले में प्राधिकरण पत्र में संविदा/खरीद आदेश के परिचय प्रत्यय का उल्लेख होगा जिस का संकेत खोले जाने वाले साख-पत्र के अन्तर्गत भेजे जाने वाले सभी दस्तावेज में होना चाहिए । खण्ड-3 (ख) के अन्तर्गत आने वाली संविदाओं के मामले में यू० के० सरकार की संविदा अनुमोदन की संख्या को भी प्राधिकार पत्र एवं साख-पत्र में समाविष्ट किया जाना चाहिए । सहायता लेखा एवं परीक्षा, नियंत्रक जारी किए गए प्राधिकार पत्र के बारे में भी यू० के० बैंक तथा सी० ए० ओ० लन्दन को उपयुक्त परामर्श देगा। लेकिन, यू० के० बैंक को दिया गया परामर्श सम्बन्द्ध भारतीय मुद्रा विनिमय बैंक को प्राधिकरण की प्रति के साथ भेजा जाएगा जो बदले में इसे साख पत्र खोलते समय यू० के० बैंक को संप्रेषित करेगा ।

22. प्राधिकरण पत्र के जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर साख-पत्र खोल दिया जाना चाहिए और ऐसा नहीं करने की स्थिति में प्राधिकरण समाप्त हो जाएगा ।

23. साख-पत्र में उन शर्तों का उल्लेख होना चाहिए जिसके अधीन लाइसेंस दिया गया है, नीचे के खण्ड 5 में उल्लिखित सभी प्रलेखों के प्रस्तुतीकरण के बाद संभरकों को भुगतान के लिए व्यवस्था होनी चाहिए । भुगतान के बाद प्रलेखों में प्रेषण करने से संबंधित अनुदेशों को पूरी तरह समाविष्ट करना चाहिए और इसे इस शर्त के अधीन खोला जाना चाहिए कि यू० के० में सम्बद्ध बैंक लाभ प्राप्तकर्ताओं को प्रारम्भिक रूप में उनकी अपनी निधि से भुगतान करने के बाद उस की प्रतिपूर्ति भारत में सम्बन्द्ध बैंक से [खण्ड-3(क) के अन्तर्गत आने वाले मामले में] सी०ए० ओ० लन्दन के माध्यम से स्टेट बैंक आफ इंडिया, लन्दन से [खण्ड-3 (ख) के अन्तर्गत आने वाले मामले में] प्राप्त करेगा । साख पत्र खोलने के सम्बन्ध में भारतीय मुद्रा विनिमय बैंक के अनुदेशों को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्राधिकरण के पूर्णरूपेण अनुरूप होना चाहिए । इसमें किसी भी प्रकार का अन्तर नहीं होना चाहिए । साख पत्र में शीर्षक "यू० के०/भारत क्षेत्रीय अनुदान 1977" आयात लाइसेंस संख्या एवं दिनांक, परिचय प्रत्यय और जहां आवश्यक हो यू० के० सरकार की संविदा अनुमोदन संख्या का संकेत होना चाहिए।

24. जब साख-पत्र खोला जा रहा हो, तो भारत के प्राधिकृत विदेशी मुद्रा विनिमय बैंक आयातक की ओर से इस बात का सुनिश्चय करने के लिए कि प्रलेखन की उपर्युक्त जरूरतों को नोट कर लिया गया है तथा यू० के० संभरकों द्वारा इन का अनुपालन किया गया है, साख-पत्र में आवश्यक शर्तों को शामिल करने पर ध्यान देगा।

25. यदि पहले से ही जारी किए गए प्राधिकार पत्र को आयात लाइसेंस के मूल्य को बढ़ाने के आधार पर संशोधित किया जाना है तो आयातक के आवेदन पत्र के साथ आयात लाइसेंस अथवा उसकी फोटो स्टेट प्रति भेजी जानी चाहिए जिसमें आयात लाइसेंस के मूल्य में बढ़ाई गई धनराशि के लिए लागू विनिमय दर का संकेत हो।

5. प्रलेखन

26. यह देखने की जिम्मेवारी आयातक की है कि यू० के० संभरक भेजे गए माल के लिए भुगतान की मांग करते समय यू० के० बैंक के लिए नीचे उल्लिखित प्रलेखों को पूरा करता है और प्रस्तुत करता है :—

(1) चार फोटो प्रतियां या अन्य किसी विधि से तैयार की गई प्रतियों के साथ मूल बीजक (बीजक में आयातक का नाम और पता, संभरित की गई प्रत्येक मद की मात्रा और विस्तृत विवरण, वितरण का आधार (लागत भाड़ा या लागत बीमा भाड़ा) और किसी प्रकार की आनुषंगिक सेवाएं जिसमें वितरण या नौवहन या परिवहन बीमा सेवाएं शामिल हैं, उसकी स्टर्लिंग लागत को दिखाया जाना चाहिए।

(2) महासागर या चार्टर लदान-पत्र की एक प्रति या (फोटो स्टेट) या वायु-मार्ग बिल या डाक पार्सल रसीद (लदान-पत्र में खर्चों का संकेत होना चाहिए। चाहे इन का भुगतान किसी भी मुद्रा में किया गया हो या उस के साथ या खर्चों का वाहक विवरण दिया जाना चाहिए)।

(3) अनुबन्ध 5 में दिए गए प्रपत्र में भुगतान प्रमाण-पत्र की चार प्रतियां [ऐसी संविदाओं के सम्बन्ध में इनकी आवश्यकता नहीं है जिनके लिए अनुबन्ध 2(ख) में दिए गए प्रपत्र में एक संविदा प्रमाण पत्र (रासायनिक) की पूर्ति की गई है] इस उद्देश्य के लिए संभरक द्वारा भुगतान प्राप्त करते समय भरने के लिए निर्धारित प्रपत्र में भुगतान प्रमाण पत्र के पांच खाली प्रपत्र साख-पत्र के साथ संलग्न करने चाहिए।

(4) अनुबन्ध-2 या 2 (ख) में निर्धारित संविदा प्रमाण-पत्र की तीन प्रतियां। प्रत्येक प्रलेख में ऋण शीर्षक परिचय प्रत्यय, आयात लाइसेंस के ब्यौरे और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए साख प्राधिकरण पत्र के ब्यौरों को अवश्य प्रदर्शित करना चाहिए। (यदि निकासी अभिकर्ता द्वारा इन ब्यौरों का उल्लेख करना संभव हो तो लदान बिल में आयात लाइसेंस के ब्यौरों को नहीं दर्शाया जा सकता है)।

27. यू० के० संभरक को भुगतान किए जाने के बाद यू० के० का सम्बद्ध बैंक भारतीय सम्बद्ध बैंक को प्रलेखों का मूल परक्राम्य सेट वायुमार्ग से भेजेगा।

28. (क) खण्ड-3(क) के अंतर्गत आने वाले मामलों में भारतीय बैंक यू० के० बैंक को उसके द्वारा बैंक प्रभारों सहित यू० के० संभरकों को किए गए भुगतानों की प्रतिपूर्ति प्रेषण द्वारा करेगा। भारतीय बैंक द्वारा आयातकों से इस प्रकार की विदेशी मुद्रा परेषणों की तत्संबंधी समतुल्य रुपये में वसूली दोनों के बीच हुई सहमति से तय की गई व्यवस्थाओं के अनुसार की जाएगी। यू० के० बैंक भी पूर्ण किए गए भुगतान प्रमाण-पत्र की एक अपरक्राम्य प्रति सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, नई दिल्ली को भेजेगा।

खण्ड-3 (ख) के अंतर्गत आने वाले मामलों में भारतीय बैंक प्रलेखों की पावती पर यू० के० बैंक को बैंक प्रभारों का परेषण करेगा और आयातक से उसी को वसूल करेगा।

(ख) खण्ड-3(ख) के अंतर्गत आने वाले मामलों में यू० के० बैंक साथ ही साथ सी ए ओ, लन्दन से प्रतिपूर्ति का दावा करेगा और इस प्रयोजन के लिए सभी प्रलेखों को प्रस्तुत करेगा। सी ए ओ, लन्दन स्टेट बैंक आफ इंडिया, लन्दन के माध्यम से यू० के० बैंक को भुगतानों की व्यवस्था करेगा।

6. यू० के० अनुदान के अंतर्गत/रुपया निक्षेप के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्ति के लिए भारत सरकार को सक्षम बनाने में भारतीय बैंक की जिम्मेदारी

(क) खण्ड-3(ए) के अंतर्गत आने वाले मामलों में

29. बैंक प्रभारों के साथ इसके द्वारा यू० के० संभरकों को स्टर्लिंग भुगतानों के यू० के० बैंक में प्रतिपूर्ति करने के बाद [कंडिका 28(क) देखें] भारतीय बैंक को चाहिए कि वह 7 दिनों के भीतर आवश्यक प्रलेखों को सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा, नियंत्रक, नई दिल्ली को भेजें ताकि भारत सरकार यू० के० अनुदान के अंतर्गत आवश्यक प्रतिपूर्ति प्राप्त करने में सक्षम हो सके। भेजे जाने वाले प्रलेख ये हैं :—

(1) यू० के० संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित अनुबन्ध 2 या अनुबन्ध 2(ख) जैसा उचित हो, में दिए गए रूप में संविदा प्रमाण-पत्र तथा संबंधित साख-पत्र की एक प्रति

(2) यू० के० संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित अनुबन्ध-5 में दिए गए के अनुसार भुगतान प्रमाण-पत्र

(3) खण्ड-5 में उल्लेख किए गए के अनुसार बीजक तथा लदान बिल जहां संविदा के अंतर्गत यू० के० संभरक को एक से अधिक भुगतान किया जाना है, संविदा प्रमाणपत्र तथा साखपत्र की एक प्रति भेजने की आवश्यकता केवल प्रथम भुगतान के लिए है। आगामी बीजक के लिए सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, नई दिल्ली को भेजना आवश्यक है किन्तु परिचय प्रत्यय को संबंधित प्रमाणपत्र तथा साख-पत्र में उद्धृत किया जाना चाहिए।

(ख) खण्ड-3 के अंतर्गत आने वाले मामलों में

30. यू० के० बैंक से लदान दस्तावेज के साथ भुगतान के परामर्श की पावती के सात (7) दिनों के भीतर सम्बद्ध भारतीय मुद्रा विनिमय बैंक आयातक से "मिली जुली मुद्रा विनिमय दर" से आयात की कीमत, रुपए में वसूल करेगा (उपर्युक्त कंडिका 2(ख) देखें) और इस के साथ यू० के० बैंक द्वारा यू० के० संभरकों को किए गए भुगतान की तारीख से लेकर सरकारी लेखे में समतुल्य जमा करने की तारीख तक (दोनों दिन सम्मिलित हैं) की अवधि के लिए ब्याज प्रभार भी लेगा। इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक आफ इंडिया बम्बई के ए डी परिपत्र संख्या 22 दिनांक 18-6-77 में निहित अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन किया जाना चाहिए।

31. समतुल्य रुपये का निक्षेप:—उपर्युक्त उल्लिखित धनराशि भारतीय बैंक द्वारा भारत सरकार के लेखे के लिए रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया तीस हजारी शाखा दिल्ली में जमा करानी चाहिए या जहां यह संभव न हो तो इसे स्टेट बैंक आफ इंडिया के नाम में दर्शानी हुण्डी द्वारा प्रेषित किया जाना चाहिए। रुपया निक्षेप सार्वजनिक सूचना संख्या 103 आई टी सी (पी एन)/76 दिनांक 12-10-76 द्वारा यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना संख्या 74 आई टी सी (पी एन)/74 दिनांक 31-5-74 के लिए प्रकाशित अनुबंध में दिए गए राजकोष चालान प्रपत्र में किया जाना चाहिए। इसके बाद निक्षेप के साक्ष्य को दर्शाते हुए राजकोष चालान रजिस्ट्री डाक द्वारा सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा, नियंत्रक, नई दिल्ली को भेज देना चाहिए और उसमें बीजक, लदान प्रलेखों एवं जिस अनुभाग से सौदा संबंधित है उसके प्राधिकरण की प्रतियां होनी चाहिए एवं उनके संदर्भों का संकेत होना चाहिए।

सम्बद्ध भारतीय बैंक इस तरह सेवा प्रभारों के आधार पर ऐसी अतिरिक्त धनराशि को भारत सरकार द्वारा मांग किए जाने के 7 (सात) दिनों के भीतर ही जमा करने की व्यवस्था करेगा।

लाइसेंसधारी को सार्वजनिक सूचना संख्या 184 आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 30 अगस्त 1968 के लिए अनुबन्ध 2 में यथा सम्मिलित प्रपत्र "एस" दो प्रतियों में भरना चाहिए और उन्हें उक्त सार्वजनिक सूचना में निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार रुपया निक्षेप की व्यवस्था करते समय प्रस्तुत करना चाहिए।

32. रुपया निक्षेप के लिए लेखा शीर्षक :—भारत सरकार के क्रेडिट में ब्याज प्रभारों सहित जमा की जाने वाली धनराशि निम्नलिखित लेखा शीर्षक के अंतर्गत जमा की जाएगी :—

"के डिपोजिट्स एण्ड एडवांसेस—843 सिविल डिपोजिट्स फार परचेजेस एक्सेट्रा एग्राड—डिपोजिट्स अण्डर यू०के०/इण्डिया सैक्ट्रलग्राट 1977" और लेखा अधिकारी सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, नई दिल्ली को लेखा अधिकारी के रूप में दर्शाया जाएगा जो इस क्रेडिट का समंजन करेगा

33. बैंक गारन्टी को रिहा करना :—बैंक गारन्टी एवं वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्राधिकरण के अनुसार आभार पूर्ण हो जाने के बाद, सम्बद्ध भारतीय बैंक, बैंक गारन्टी की रिहाई के लिए सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, नई दिल्ली को आवेदन कर सकता है। सम्बद्ध भारतीय बैंक द्वारा (न कि आवेदक द्वारा) आवेदन पत्र भेजा जाना चाहिए और यह अनुबन्ध 6 में निर्धारित प्रपत्र में होना चाहिए।

7. आयात लाइसेंस के उपयोग किए जाने के सम्बन्ध में रिपोर्ट

34. रिपोर्ट भेजना :—अनुबन्ध 7 यथा संलग्न प्रपत्र में लाइसेंस के उपयोग किए जाने की स्थितियों को प्रदर्शित करते हुए एक रिपोर्ट, जिस तिमाही से यह सम्बद्ध हो उसके अगले मास की 15 तारीख को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-2 अनुभाग) नई दिल्ली को भेजी जानी चाहिए और इस की एक प्रति सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू.सी.ओ. बैंक बिल्डिंग, नई दिल्ली को भेजी जानी चाहिए।

8. विविध

35. यू० के० संभरकों से धन वापसी :—लाइसेंसधारी द्वारा यू०के० संभरक या किसी संविदाकर्ता (बीमा कम्पनी आदि) से धन वापसी या बीमा दावे को निपटाने में या अन्यथा रूप से किसी प्रकार की धनराशि प्राप्त होती है तो ऐसी धनराशि संभरक द्वारा यू०के० के सम्बद्ध बैंक को (जिस के द्वारा प्रारम्भ में यू० के० संभरक को भुगतान किया गया था) इन अनुदेशों के साथ वापस की जानी चाहिए कि वे बदले में इस धनराशि को अनुदान लेखे में जमा करने के लिए तुरन्त सी ए ओ, लन्दन को वापस कर दें। अनुदान लेखे में इस प्रकार की धनराशि जमा करने के बाद वित्त मंत्रालय द्वारा रुपए में इस के बराबर धनराशि को आयातक को उस के द्वारा दावे की पावती के बाद वापस कर दिया जाएगा। यदि किसी प्रकार की धन वापसी ऋण समाप्त होने के बाद प्राप्त होती है तो वह संभरक द्वारा सीधे ही आयातक को दे दी जाएगी।

36. धन वापसी की रिपोर्ट भेजना :—जब और जैसे ही ऐसी धन वापसी प्राप्त होती है तो उसकी एक रिपोर्ट अनुबन्ध-7 में दिए गए प्रपत्र में वित्त मंत्रालय को भेजी जानी चाहिए और इसकी एक प्रति सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को भेजी जानी चाहिए।

विशेष शर्तों, व्यवसायों के लिए अधिसूचित किए जाने वाले संभरक

37. आयात लाइसेंस में ऐसी कोई विशेष शर्त हो जो कि संभरक पर सौदे के पालन करने में प्रभाव डाले तो लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह संभरक को इनसे अवगत करा दे।

विवाद

38. यह जान लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरकों के बीच यदि किसी प्रकार का विवाद उठ खड़ा होता है तो भारत सरकार किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेगी।

भविष्य के लिए अनुदेश

39. आयात लाइसेंस या इससे संबंधित किसी एक या सभी मामलों के संबंध में तथा अनुदान करार के अंतर्गत सभी प्रकार के आभारों को पूरा करने के संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों, या आदेशों या अनुदेशों का तुरन्त पालन करेगा।

उल्लंघन या अतिक्रमण

40. उपर्युक्त कंडिका में दी गई शर्तों के उल्लंघन या अतिक्रमण करने पर आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 एवं इसके अन्तर्गत जारी किए गए आदेशों के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी।

10. अनुबन्धों की सूची

1.	अनुबन्ध 1	संविदा की अधिसूचना
2.	अनुबन्ध 2	संविदा प्रमाण पत्र
3.	अनुबंध-2(ख)	संविदा प्रमाण-पत्र (रासायनिक)
4.	अनुबन्ध 3	साख-पत्र प्राधिकरण के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप
5.	अनुबन्ध 4	बैंक गारन्टी का प्रपत्र
6.	अनुबन्ध 5	भुगतान प्रमाण-पत्र
7.	अनुबन्ध 6	बैंक गारन्टी की रिहाई के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र
8.	अनुबन्ध 7	आदेश देने एवं आयात लाइसेंस के उपयोग के लिए
9.	अनुबन्ध 8	रिपोर्ट करने के लिए प्रपत्र धन वापसी की रिपोर्ट का प्रपत्र

अनुबंध—1

यू० के०/भारत क्षेत्रीय अनुदान, 1977

संविदा की अधिसूचना

सेवा में,

समुद्र पार सरकार एवं प्रशासन के लिए
आउन एजेंट
मिल बैंक
लंदन एस० डब्ल्यू—1

संविदा की अधिसूचना ----------
परिचय प्रत्यय संख्या----------

संविदा के निम्नलिखित ब्यौरे ये हैं जिसके अन्तर्गत यह प्रस्तावित किया जाता है कि उपर्युक्त अनुदान शर्तों के अनुसार भुगतान किया जाएगा:—

1. यू०के० संविदाकर्त्ता का नाम तथा पता
2. संविदा का दिनांक
3. भारतीय खरीददार का नाम
4. माल का संक्षिप्त ब्यौरा तथा/अथवा कार्य अथवा सेवाएं
5. संविदा का मूल्य (पौंड)
6. भुगतान की शर्तें

भारत सरकार की ओर से हस्ताक्षरित
दिनांक

अनुबन्ध—2

यू०के०/भारत क्षेत्रीय अनुष्ठान, 1977

संविदा प्रमाण पत्र

संविदा ब्यौरा

1. संविदा की तारीख———— 2. (क) संविदा की संख्या————

(ख) परिचय प्रत्यय ————

3. खरीददार को दिए जाने वाले माल अथवा सेवाओं का विवरण————(यदि कई मदों की पूर्ति की जानी है, तो इस प्रमाणपत्र के साथ उसकी एक विस्तृत सूची लगा देनी चाहिए)

4. क्रेता द्वारा देय कुल संविदा मूल्य (लागत बीमा भाड़ा, लागत तथा भाड़ा या जहाज पर निःशुल्क का उल्लेख कीजिए) पौंड————

यदि माल का संभरण किया जाना है, तो निम्नलिखित खंडों का अनुपालन करना अनिवार्य है (यदि संविदाकर्त्ता केवल निर्यातक अभिकर्ता है, तो मांगी हुई सूचना निर्माणकर्त्ता से प्राप्त करनी चाहिए)

5. खरीददार को संभरण किए जाने वाले

माल का विवरण	कीमत पौंड	यू०के०/टैरिफ/ट्रेड कोड सं०

6. जो माल यू०के० मूल का नहीं है परन्तु संविदाकार द्वारा सीधे बाहर से खरीदा गया है तो जहाज पर निःशुल्क मूल्य का अनुमानित प्रतिशत जैसे आयातित कच्चे माल, या निर्माण किए, निर्माण किये गए संघटकों का प्रतिशत

(क) प्रतिशत जहाज पर निःशुल्क मूल्य————

(ख) मदों का विवरण और संक्षिप्त विशिष्टकरण————

7. यदि विदेश मूल के किसी कच्चे माल या संघटकों का उपयोग किया गया हो, जैसे ताम्बा, अयह, कपास, लकड़ी, लुगदी आदि, परन्तु संविदाकर्त्ता द्वारा इस संविदा के लिए इनकी खरीद यू०के० में की गई है तो उनका उल्लेख करें:—

(क) प्रतिशत जहाज पर निःशुल्क मूल्य ————

(ख) मदों का विवरण और संक्षिप्त विशिष्टकरण————यदि सेवाएं प्रदान की जानी हैं, तो निम्नलिखित खंडों की भी पूर्ति की जानी चाहिए:—

8. नीचे लिखे द्वारा किए गए किसी काम या खरीददार के देश में निष्पादन सेवाओं का अनुमानित मूल्य बताएं:—

(क) आपकी फर्म (स्थल, अभियन्ता के खर्चे आदि)————

(ख) स्थानीय संविदाकर्त्ता————

9. उपर्युक्त कंडिका 6, 7 या 9 के संबन्ध में जैसा आवश्यक हो, टिप्पणी

10. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि नीचे लिखे संविदाकर्त्ता द्वारा मैं यू०के० में नियोजित किया गया हूं और इस प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकार मुझे प्राप्त है। मैं एतद्द्वारा यह जिम्मेदारी लेता हूं कि उपर्युक्त कंडिका 6, 7, 8 और 9 में विशिष्टकृत को छोड़कर किसी और माल या सेवाओं का जो यू०के० मूल की नहीं है, संविदा के निष्पादन में संभरण नहीं किया गया है ।

हस्ताक्षरित————

पद जिस पर वह है————

संविदाकर्त्ता का नाम और पता————

————

दिनांक————,————

टिप्पणी:—इस घोषणा के लिए यू०के०, वि चेनल आइलैंड और आइल्ज आफ मैन को शामिल करता है ।

संविदाकर्त्ता को यह नोट कर लेना चाहिए कि तब तक माल का विनिर्माण नहीं किया जाना चाहिए जब तक अनुमोदन अधिसूचित न कर दिया गया हो।

केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए

परियोजना का नाम एवं संख्या————

भुगतान

दिनांक	पी०ए० धनराशि सं०	आद्याक्षर

वचनबद्ध धनराशि प्रविष्टि की तारीख अनुमोदन

दिनांक आद्याक्षर

पौंड

अनुबंध—2(ख)

यू०के०/भारत क्षेत्रीय अनुदान, 1977

केवल रसायन एवं सम्बद्ध उत्पादों के लिए संविदा प्रमाणपत्र

1. संविदा की तिथि———— संविदा की संख्या————

आयात लाइसेंस संख्या————दिनांक ————परिचय प्रत्यय

2. खरीदार को संभरण किए जाने वाले उत्पाद (दो) का विवरण (टिप्पणी क)	पौंड मूल्य	यू०के० दर सूची वर्गीकरण सं० (टिप्पणी ख)	क्या उत्पाद यू०के० मूल का है ? (टिप्पणी ग देखिए) हां या नहीं लिखिए

3. खरीददार द्वारा भुगतान की जाने योग्य कुल अनुमानित संविदा कीमत स्टर्लिंग पौंड में ।

4. (घोषणा) मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि नीचे लिखे संविदाकर्ता द्वारा मैं यू०के० में नियोजित किया गया हूं और वैध प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकार मुझे प्राप्त है और उपर्युक्त सूचना सही है ।

हस्ताक्षरित————

पद जिस पर है————

संविदाकर्त्ता का नाम और पता————

दिनांक

टिप्पणी

(क) इस प्रपत्र का प्रयोग केवल रासायन तथा संबंधित उत्पादों के लिए किया जाना है।

जिसमें अधिकतर को यू०के० दर सूची के अध्याय, 15, 25, 26—36 तथा 37—40 के उपर्युक्त उपशीर्षकों द्वारा सम्मिलित किया गया है ।

(ख) देखिए:—

1. एच०एम०कस्टम तथा एक्साईज टेरिफ एच०एम०एम०ओ०

2. ब्रेसल्स नामावली एच०एम०एस०ओ० में रसायनों का वर्गीकरण

(ग)(1) यदि उत्पाद पूर्णतया यू०के० देशी माल से तैयार किया गया है तो उत्पाद यू०के० मूल का समझा जाता है अथवा उपर्युक्त ई/एफ/टी/ए विशेषक विधि के अनुसार पूर्णतया अथवा अंशतः आयातित माल प्रयोग किया जाता है ।

(2) एच०एम०एस०ओ० निर्यातकों के प्रयोग के लिए ई० एफ० टी० ए० विशेषक विधि, ई० एफ० टी० ए० सार-संग्रह के सूचक 1 में बताई गई है ।

(3) प्रस्तुत घोषणा के लिए इस पर बल दिया जाता है कि विकल्पी प्रतिशत निकस लागू नहीं होता है ।

(4) उपर्युक्त सूचक में जहां कहीं शब्द "क्षेत्र मूल" आते हैं उनका तात्पर्य केवल यू०के० मूल से है ।

(5) प्रस्तुत घोषणा के लिए "माल की सूची" (ए० एफ० टी० ए० सार-संग्रह का सूचक-37 लागू नहीं होता है ।

(6) यदि विषयाधीन माल के लिए विशेषक विधि सूचीबद्ध नहीं है तो फ्राउन एजेन्ट फॉर ओवरसीज गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 4. मिल बैंक, लंदन, एस० डब्ल्यू० I से सलाह लेनी चाहिए ।

(घ) इस घोषणा के लिए यू०के० चैनल आईलैंड तथा आइल्ज ऑफ मैन को शामिल करता है ।

अनुबन्ध—3

(साख पत्र प्राधिकरण के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र)

परिचय प्रत्यय.....

सेवा में,

सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक,
(आर्थिक सहायता लेखा शाखा)
वित्त मंत्रालय
(अर्थ कार्य विभाग)
यूनाइटिड कमर्शियल बिल्डिंग,
पार्लियामेन्ट स्ट्रीट,
नई दिल्ली-1

विषय : यू०के०/भारत क्षेत्रीय अनुदान, 1977 के अन्तर्गत य० के० से.....का आयात ।